"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च 2018—फाल्गुन 11, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 4-1/2007/1-7.—विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 798/291/XXI-B/C.G./2018, दिनांक 24-01-2018 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा श्री अशोक कुमार लुनिया, (सदस्य उच्चतर न्यायिक सेवा) विधिक सलाहकार, छत्तीसगढ़ लोक आयोग की सेवाएं छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर से वापस लेते हुए, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को वापस लौटाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

वाणिज्यक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 6-21/2017/वा.कर/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारी को वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद से सहायक आयुक्त के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 में (वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रुपये 6600) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें, उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स.क्र. (1)	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री आर. के. मिश्रा वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-एक	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग संभाग

2. प्रामणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारी की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यापाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 1-9/2008/13 (पार्ट-3)/1.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-9/2008/13 (पार्ट-3)/1 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा श्री अंकित आंनद, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी के अतिरिक्त प्रभार अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक पदस्थ है और श्री अंकित आनंद दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 01 जनवरी 2018 तक अवकाश पर है.

2. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री अंकित आनंद की उक्त अवकाश की अवधि में श्री अजय दुबे, डायरेक्टर (पी. एण्ड ए.) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी का अतिरिक्त प्रभार, श्री अंकित आनंद के अवकाश की समाप्ति पर अथवा उनके कार्यभार ग्रहण की तारीख तक अस्थाई तौर पर आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1 दिनांक 28 फरवरी, 2015 द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त श्री अंकित आनंद दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 01 जनवरी 2018 तक अवकाश पर है.

2. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित आनंद की उक्त अवकाश की अवधि में श्री जी.सी. मुखर्जी, डायरेक्टर (कमर्शियल एण्ड आर.ए.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का अतिरिक्त प्रभार, श्री अंकित आनंद के अवकाश की समाप्ति पर अथवा उनके कार्यभार ग्रहण की तारीख तक अस्थाई तौर पर आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 10-1/2018/16.—छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1882 की धारा 33(2)(ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11(2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मंडल के पंजीकृत/अभिदायदाता कर्मचारियों के लिए संचालित योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

01. **निःशुल्क सायकल वितरण योजना :—**

(अ) **योजना का प्रावधान** :—

(i) योजना नाम "निःशुल्क सायकल वितरण योजना 2017" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत समस्त पंजीकृत संस्थानों में पिछले 03 वर्षों या उससे पूर्व से कार्यरत अभिदायदाता/पंजीकृत श्रमिकों को निम्नानुसार निःशुल्क सायकल प्रदाय की जावेगी.

क्र.	वर्तमान निःशुल्क सायकल प्रदाय	संशोधित निःशुल्क सायकल प्रदाय
1.	अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए	समस्त वर्ग के श्रमिकों के लिए

(iii) योजना के प्रावधान में किया गया संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

(iv) पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके श्रमिक पुनः आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे.

(v) इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को जीवनकाल में केवल एक बार योजना का हितलाभ प्राप्त होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) आवेदक स्थापना का अभिदायदाता श्रमिक हो.

(ii) आवेदन नियोक्ता के माध्यम से प्रेषित किये गये एवं अभिदायदाता/पंजीकृत श्रमिकों के आवेदन ही मान्य होंगे.

(iii) आवेदक का मासिक आय रुपये 24,000/- से अधिक न हो.

(iv) अभिदायदाता/पंजीकृत श्रमिक स्थापना में विगत 03 वर्षों या उससे पूर्व से कार्यरत हो.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्रम कल्याण मंडल में नियोक्ता के माध्यम से समायावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

(ii) योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने का अधिकार कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल को होगा.

(द) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर कल्याण आयुक्त छ.ग. श्रम कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा.

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 10-17/2017/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित "फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना" बाबत् अधिसूचना क्रमांक 1148A/1219/2016/16, दिनांक 15-06-2016 की कंडिका (अ) के बिन्दु क्रमांक (II) को विलोपित करते हुए, निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है :—

(ब) **योजना का प्रावधान :—**

"(II) इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेतओं को मंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तराजू प्रदाय किया जावेगा."

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 10-19/2017/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना का नाम "धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना" होगा.

2. यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के पंजीकृत हितग्राहियों के लिये होगी.

3. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत धोबी को इलेक्ट्रानिक/कोयला आयरन, क्लाथ्स पिन, वाशिंग पैडल (थप्पी/कुटेला) प्रदान किया जावेगा.

4. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. प्रदेश के किसी भी जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में पंजीकृत धोबी को योजना का लाभ प्रदान किया जावेगा.

2. यदि हितग्राही राज्य शासन के किसी अन्य समानांतरण योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.

3. 18-60 वर्ष की आयु वाले हितग्राही योजनांतर्गत पात्र होंगे.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—** हितग्राहियों को किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—** योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 10-16/2017/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, असंगठित कर्मकारों के लिये निम्नानुसार योजना बनाता है :—

(क) **योजना का नाम एवं विस्तार :—**

I. योजना का नाम "सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना" होगा.

II. छत्तीसगढ़ राज्य के वे असंगठित श्रमिक तथा उनके परिवारजन जिनमें सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि हुई हो इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र होंगे.

III. इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा उनके अधीन आने वाले श्रमिक प्रवर्गों को दिया जायेगा.

IV. यह योजना सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता के रूप में होगी तथा सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अथवा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी.

V. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

(ख) **योजना हेतु पात्रता :—**

I. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा उनके अधीन आने वाले श्रमिक प्रवर्गों को इस योजना का लाभ दिया जावेगा. इसके अतिरिक्त ये श्रमिक जो स्वयं के संगठित क्षेत्र के कारखाने में कार्यरत होने का दावा करते हो, परंतु उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जांच में उनके संगठित क्षेत्र के कारखाने में कार्य करने के प्रमाण नहीं मिले हो या जो निर्माण श्रमिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकरण के पात्र न हो को भी छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के ठेका श्रमिक प्रवर्ग में पंजीयन कर योजना का लाभ दिया जावेगा.

II. इस योजना के लाभ हेतु सक्षम चिकित्सक यथा शासकीय मेडिकल कॉलेज अथवा जिला अस्पतालों में कार्यरत चेस्ट एवं टी.बी. विशेषज्ञ चिकित्सक/पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर की व्यवसायजन्य रोग निदान समिति/कर्मचारी राज्य बीमा सेवाऐं के बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (प्रमाणक शल्यज्ञ)/ उप संचालक (चिकित्सा) अथवा सहायक संचालक (चिकित्सा) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (श्रम विभाग) उक्त में कोई एक द्वारा श्रमिक में सिलिकोसिल बीमारी की पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा.

(ग) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

I. आवेदक/आवेदिका द्वारा स्वयं अथवा पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में श्रमिक के आश्रित द्वारा जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, के कार्यालय में आवेदन जमा किये जा सकेंगे. उक्त आवेदनों को इन विभागीय अधिकारियों द्वारा सात दिवस की अवधि में मंडल कार्यालय को मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावेगा.

II. सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन मृतक श्रमिक के आश्रित (माता/पिता पत्नि/पति/नाबालिग पुत्र/पुत्री) द्वारा भी किया जा सकेगा.

III. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में आवेदन भेजने हेतु आवेदन के साथ सहायक श्रमायुक्त/जिला श्रम पदाधिकारी का अनुशंसा पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिसमें श्रमिक में सिलिकोसिस होने की पुष्टि की गई हो संलग्न होंगे.

(घ) **योजना हेतु व्यय :—**

I. **आर्थिक सहायता :**—योजना के अंतर्गत रुपये 3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा तथा रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) एफ.डी. के रूप में देय होगा. एफ.डी. के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.) होगा. (श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी) के मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी.

II. **पुनर्वास सहायता :**— सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक एवं उनके आश्रित परिवारजन को मंडल की अन्य सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जावेगा, बशर्ते वो उन योजनाओं की पात्रताओं को पूर्ण करते हों.

(ङ) **आवेदना प्रकरणों का निराकरण :**—

I. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य, सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार मंडल के नोडल अधिकारी का होगा.

उक्त अधिकारी आवेदन के 15 दिवसों के भीतर आवेदन का निपटारा करेंगे. यदि आवेदन तकनीकी तौर पर अस्वीकृत किया जाता है तो उसका कारण लिखित में आवेदक के पास भेजा जावेगा तथा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में त्रुटि सुधार कर निरंतरता में पुन: आवेदन किये जाने का आवेदक को अधिकार होगा.

(च) **विसंगति का निराकरण :**— योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 3-1/2017/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, असंगठित कर्मकारों के लिये निम्नानुसार योजना बनाता है :—

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना का नाम "पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना" होगा.

2. इस योजना के अंतर्गत चावड़ी में यूनिट के पास एकत्रित होने वाले असंगठित कर्मकारों को गरम भोजन प्रदाय किया जावेगा.

3. **गरम भोजन से तात्पर्य :—**

   (क) पका हुआ चावल, दाल, सब्जी अथवा खिचड़ी, फ्राई दाल, सब्जी अथवा जीरा चावल, फ्राई दाल, सब्जी.

   (ख) भोजन के साथ आचार भी देय होगा.

4. योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(ब) **योजना का विस्तार :—** संचालक मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों में समय-समय पर चिन्हांकित स्थानों पर योजना का विस्तार किया जावेगा.

(स) **योजना की प्रक्रिया :—**

1. (क) "पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना" के यूनिट संचालन हेतु श्रम विभाग द्वारा भोजन बनाने एवं वितरण अथवा यूनिट संचालन के कार्य का टेण्डर एक साथ किया जावेगा.

   (ख) प्रत्येक यूनिट हेतु नि:शुल्क स्थल एवं शेड श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा.

   (ग) बिजली, पानी जैसे नियमित होने वाले व्यय टेंडर प्राप्त करने वाले संबंधित संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा.

   (घ) टेंडर में उल्लेखित शर्तों का पालन करना टेंडर प्राप्त करने वाले संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा.

2. कर्मकारों को यूनिट में ही भोजन खिलाया जावेगा, यदि कोई कर्मकार चाहे तो अपने टिफिन में भोजन लेकर जा सकता है.

(द) **पात्रता :—**

1. (क) श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत कर्मकारों को लाभ की पात्रता होगी.

   (ख) यदि कोई असंगठित कर्मकार है, किन्तु उसका पंजीयन नहीं हुआ है, तो वह भी पात्र होगा परंतु उसे मंडल में पंजीयन कराना आवश्यक होगा.

(ई) **व्यय :—** योजना से संबंधित यूनिट में यदि असंठित कर्मकार के अलावा निर्माण श्रमिक एवं संगठित श्रमिक भोजन ग्रहण करते है, तो उनका भुगतान संबंधित मंडल द्वारा देय होगा. असंगठित श्रमिकों के लिए भुगतान छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा किया जावेगा.

(फ) **शुल्क :—**

1. इस योजना के अंतर्गत रुपये 5/- के कूपन पर 200 ग्राम पका हुआ चावल, 50 ग्राम दाल एवं 50 ग्राम सब्जी तथा 10 ग्राम आचार अथवा खिचड़ी (200 ग्राम चावल, 50 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी) एवं 10 ग्राम आचार अथवा 200 ग्राम जीरा चावल, 50 ग्राम सब्जी, 50 ग्राम फ्राई दाल एवं 10 ग्राम आचार देय होगा.

2. प्रति कर्मकार रुपये 5/- के मान से शुल्क काउंटर पर जमा कर, कूपर प्राप्त किया जावेगा. कूपन को भोजन काउंटर पर जमा करने पर भोजन देय होगा.

(य) **योजना का संचालन/पर्यवेक्षण :—**

1. इस योजना का संचालन श्रम विभाग द्वारा अधिकृत संस्थान द्वारा किया जावेगा एवं जिला श्रम कार्यालय का यह दायित्व होगा, कि उनके जिले में चल रहे "पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना" यूनिट में हितग्राहियों की निगरानी करें.

2. **भोजन की गुणवत्ता :—** भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थान, श्रम विभाग अथवा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा ही भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण किया जावेगा.

(ड) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक 73/1680/2010/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) की धारा 21 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित ओर संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,—

पैराग्राफ (ङ) में, सरल क्रमांक 14 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"15. भारतीय रेड क्रास सोसायटी."

No. 73/1680/2010/Estt./1V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 21 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Schedule of the said adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Adhiniyam,—

In Paragraph (E), after serial number 14, the following shall be added, namely :—

"15. Indian Red Cross Society."

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक 75/1680/2010/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (ए) 2/2003/स्था./चार, रायपुर दिनांक 07 दिसम्बर, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(घ) मुख्यमंत्री सहायता कोष, जिला विधिक प्राधिकरण एवं रोगी कल्याण समिति, भारतीय रेड क्रास सोसायटी के लेखों की संपरीक्षा के लिए रुपये 1.00 (रुपये एक मात्र) प्रतिवर्ष के मान से संपरीक्षा शुल्क देय होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, संयुक्त सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur the 24th November 2017

F. No. 11204/3316/XXI-B/C.G./17.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of sub-section 22-B of the Legal Service Authority Act, 1987 (No. 39 of the 1987), the State Government on the recommendation of the State Legal Services Authority, hereby, nominates the person shown in column No. (2) of the Schedule as member for the Permanent Lok Adalat (Public Utility Services), as the place mentioned in column No. (3) of the Schedule namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of Person	Name of permanent Lok Adalat for public utility
1.	1. Shri Hemant Kumar Jha 2. Shri Pradeep Gajanand Paprikar	Durg
2.	1. Shri Surya Prakash Peri 2. Shri Hariom Prakash Dewangan	Raipur
3.	1. Smt. Sanju Tamboli 2. Shri Chhavileshwar Joshi	Jagdalpur
4.	1. Shri Bholanath Gupta	Sarguja (Ambikapur)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAVISHANKAR SHARMA, Principal Secretary.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

क्रमांक 1477/1259/आठ-परि./2017.—छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक 772/परि.वि./टी.सी./17 के द्वारा दिनांक 05 मई, 2017 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित "छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2017" को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 1477/1259/8-Trans./2017.—In Chhattisgarh Road Safety Fund Rules, 2017 Notification in Chhattisgarh Gazette on 05 May, 2017 vide Govt. of Chhattisgarh, Transport Department order no. 772/Tran./TC/2017 is hereby Cancelled.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. पाल, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	भैयाथान	खोपा प.ह.नं. 19	0.54	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.).	खोपा-लोधिमा मार्ग पर रेहण्ड नदी पर उच्च-स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य ग्राम-खोपा.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैयाथान के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. देवसेनापति, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बास्तानार
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े काकलूर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	533	0.07
	561	0.04
	607	0.07
	639	0.12
	646	0.19
	649	0.25
योग	06	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डबल रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल तथा मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे विशाखापट्नम के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

क्रमांक/क/भू-अर्जन/03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बास्तानार
- (ग) नगर/ग्राम-साडरा बोदेनार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	306	0.08
	308/1	0.05
योग	02	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डबल रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल तथा मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे विशाखापट्नम के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

क्रमांक/क/भू-अर्जन/04/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बास्तानार
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े बोदेनार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.21 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1297	0.05
	1295	0.04
	169	0.09
	1284	0.061
	1278	0.20
	181	0.22
	173	0.19
	1472	0.07
	182	0.04
	1267	0.09
	172	0.24
	929	0.17
	1157	0.05
	1159	0.15
योग	14	2.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डबल रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल तथा मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे विशाखापट्नम के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

क्रमांक/क/भू-अर्जन/05/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बास्तानार
- (ग) नगर/ग्राम-कावानार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	92/2	0.06
	93	0.02
योग	02	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डबल रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल तथा मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेल्वे विशाखापट्नम के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्रमांक/173/भटगांव/नग्रानि/2018.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भटगांव निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं. इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

भटगांव निवेश की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम जुनवानी, जोरा, घाना तथा सलोनीकला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सलोनीकला, बन्दारी, जमगहन, डोकरीडीह तथा रिकोटार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम रिकोटार, सिंघीचुवा, सेम्हराडीह, जेवरादेई, देवसागर तथा गंगोरीटांडा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम गंगोरीटांडा, टेड़ीभदर, धोबनीडीह, झुमरपाली, हरदी एवं जुनवानी की पूर्वी सीमा तक.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्रमांक 3935/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-कुसमी/2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अंबिकापुर (छ.ग.) द्वारा निम्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट कुसमी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं. इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीगसढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

कुसमी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम करकली पश्चिम, करकली पूर्व, सेमरा, कंजीया, गजाधरपुर, नटवर नगर एवं घुटराडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम घुटराडीह, रातासिली एवं रामनगर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम रामनगर, शाहपुर, कुसमी, पकरीटोली, कंचनटोली, नीलकंठपुर एवं नवाडीहा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम नवाडीहा, करकली पूर्व एवं करकली पश्चिम ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना रोजगार कार्यालय, रिंग रोड, नमनाकला, अम्बिकापुर (छ.ग.)

No. 3935/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-कुसमी/2017.— The existing land use map and register for the Kusmi Planning Area Existing land use map and Register was published under Sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the Existing Land use map Register of Kusmi Planning Area Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director Town & Country Planning, Ambikapur under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limits of Kusmi Planning Area

NORTH : Village Karkali west, Karkali East, Semra, Kanjiya, Gajadharpur, Natwar Nagar & upto the Northern limit of Ghutradih.

EAST : Village Ghutadih, Ratasili & upto the Eastern Limit of Ramnagar.

SOUTH : Village Ramnagar, Shahpur, Kusmi, Pakritoli, Kanchantoli, Nilkanthpur & upto the Southern limit of Nawadiha.

WEST : Village Nawadiha, Karkali East & upto the Western Limit of Karkali West.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning Ring Road No. 1, Old Employment Office, Namnakala, Ambikapur (C.G.)

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th January 2018

No. 09/L.G./2018/II-3-4/2010.—Smt. Rajani Dubey, Registrar (vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, is hereby, granted earned leave for 04 days from 27-11-2017 to 30-11-2017 along with Permission to leave headquarters from the evening of 25-11-2017 till the morning of 02-12-2017.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dubey, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 87 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 12th January 2018

No. 10/L.G./2018/II-2-5/2015.—Shri Maneesh Kumar Thakur, Additional Registrar (D.E.), High Court of Chhattisagrh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 03 days from 23-11-2017 to 25-11-2017 along with permission to leave headquarters from 23-11-2017 to 26-11-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Thakur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 12th January 2018

No. 11/L.G./2018/II-2-21/2006.—Shri Deepak Kumar Tiwari, Registrar (I & E) & I/c S & A Cell, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 19-12-2017 to 23-12-2017 along with permission to leave headquarters from 19-12-2017 to 01-01-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 255 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 12th January 2018

No. 12/L.G./2018/II-2-6/2007.—Shri Nirmal Minj, District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 08 days from 23-12-2017 to 30-12-2017 along with permission to remain out of headquarters from 23-12-2017 to 01-01-2018.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Minj, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 12th January 2018

No. 13/L.G./2018/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur, Principal Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 27-12-2017 to 30-12-2017 along with permission to remain out of headquarters after the court hours of 26-12-2017 till before the Court hours of 02-12-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+05 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 12th January 2018

No. 14/L.G./2018/II-2-16/2015.—Smt. Suman Ekka, Judge, Family Court, Korba, is hereby, granted earned leave for 07 days from 24-11-2017 to 30-11-2017 along with permission to remain out of headquarters from 24-11-2017 to 03-12-2017 and earned leave for 10 days from 26-12-2017 to 04-01-2018 along with permission to remain out of headquarters after office hours of 23-12-2017 till 04-01-2018.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 12th January 2018

No. 15/L.G./2018/II-3-11/2014.—Shri Vijay Kumar Ekka, District & Sessions Judge, Koriya (Baikuthpur) is hereby, granted commuted leave for 21 days from 22-11-2017 to 12-12-2017 and earned leave for 10 days from 26-12-2017 to 04-01-2018 along with permission to remain out of headquarters form the morning of 24-12-2017 till before the Court hours of 05-01-2018.

During the period of commuted leave & earned leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as afformentioned.

Certified that if Shri Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 317 days of half-pay-leave & 254 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 12th January 2018

No. 16/L.G./2018/II-3-4/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted commuted leave for 03 days from 20-11-2017 to 22-11-2017, earned leave for 05 days from 25-11-2017 to 29-11-2017 along with permission to remain out of headquarters and earned leave for 12 days from 19-12- 2017 to 30-12-2017 along with permission to ramin out of headquarters from 19-12-2017 to 01-01-2018.

During the period of commuted leave & earned leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as afformentioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 289 days of half-pay-leave & 233 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 12th January 2018

No. 17/L.G./2018/II-3-18/2007.—Shri D. L. Katakwar, District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, granted earned leave for 05 days from 04-01-2018 to 08-01-2018 along with permission to remain out of headquarters from 04-01-2018 to 08-01-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 12th January 2018

No. 18/L.G./2018/II-2-13/2017.—Shri Yogesh Pareek, Special Judge (Atrocities), Korba is hereby, granted earned leave for 02 days on 27-12-2017 & 28-12-2017 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 16-12-2017 to 28-12-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pareek, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 124 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 12th January 2018

No. 19/L.G./2018/II-2-3/2014.—Smt. Anita Dahariya, Judge, Family Court, Bemetara is hereby, granted earned leave for 12 days from 28-12-2017 to 08-01-2018 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 23-12-2017 till 08-01-2018.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dahariya, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+13 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN.).